कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विद्युत वितरण खण्ड पंचम, उन्नाव

योजना–पूर्ण जमा योजना (निजी नलकूप)

पत्रांक 8472/वि०वि०ख०ह०उ०/टी० 500(टी०सी०) दिनांक 02.12.2023

विषय : **निजी नलकूप** संयोजन के लिए 08 **अश्वशक्ति/किलोवाट** तथा पंखा बत्ती हेतु स्वीकृति विद्युत भार सं० 8470 /वि०वि०ख०ह०उ०/ 02.12.2023 के प्राप्त के सम्बन्ध में, श्री गंगा प्रसाद पुत्र श्री मुखलाल, ग्राम पो0– गेनी बुजुर्ग, ब्लाक– हसनगंज, वि0खं0– हसनगंज, तहसील–हसनगंज, जिला–उन्नाव।

महोदय/महोदया,

आपके स्वीकृत भार सं. 8470/वि०वि०ख०ह०उ०/ 02.12. 2023 के अन्तर्गत 08 **अश्वशक्ति** भार के लिए रू0–**173504.00** का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है। कनेक्शन देने में 300 मीटर लम्बी लाइन तथा 25 के०वी०ए० का नया सबस्टेशन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी।

अतः विद्युत शक्ति पाने के सम्बन्ध में निम्न शर्तो सहित प्रस्ताव किया जाता है।

क्र० सं०	विवरण	रूपये
1	प्रोसेसिंग फीस जमा	100.00
2	लाइन चार्जेज	166147.00
3	मीटर चार्ज	4957.00
4	सिक्योरिटी	2400.00
5	योग (2+3+4)	**173504.00**
	कुल देय धनराशि	**173504.00**

1. इस धनराशि के अतिरिक्त मोटर निरीक्षण शुल्क शासकीय कोष में 0943 बिजली पर कर और शुल्क ख 00102 भारतीय बिजली नियमावली अन्तर्गत जमा कर दें।
2. आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित भण्डार केन्द्र उन्नाव से अपने वाहन द्वारा सामान की ढुलाई कर के संयोजन स्थल पर लाना होगा एवं लाइन निर्माण का कार्य स्वयं के द्वारा कराया जायेगा।
3. आप अपना पावर हाउस बनाने के लिए आवश्यक मात्रा में अपनी ईट, बालू तथा सीमेन्ट का प्रबन्ध आपको स्वयं करना होगा।
4. कनेक्शन हेतु लाइन व स्टेशन से जो मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी उसका भी प्रबन्ध आपको स्वयं करना पड़ेगा।

P.T.O

नोट :-

(क) यदि आपको ऊपर लिखी शर्तें मान्य हो तो आप कृपया कार्य दिवस में 10 बजे प्रातः से 13 बजे दोपहर दो गवाहान सहित इस कार्यालय में पधार कर नॉन जुडीसियल रू0 100.00 का जनरल स्टाम्प तथा 01 रू0 की रसीदी टिकट सहित इस अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करें।

(ख) जब तक बी.एण्ड.एल फार्म जमा करके रसीद नहीं प्राप्त कर लेते हैं आपको कनेक्शन देने का कार्य नहीं प्रारम्भ किया जायेगा।

(ग) परिषद आदेश संख्या 514सी/र0वि0प0–16/14/405/सी/81 दिनांक 12.2.14 को निर्गत होने से दो वर्ष की अवधि मे उपभोक्ता द्वारा निम्नलिखित विद्युत भार उपयोग न करने की दशा में अथवा नियम व शर्ते दिये जाने की तिथि से 6 माह के अन्दर वांछित धनराशि जमा न किये जाने की दशा में (जो भी तिथि पहले हो) वह स्वीकृति के वाद ही देय होगा।

नोट :-

(च) सर्विस कनेक्शन शुल्क व सिस्टम लोडिंग चार्जेज नगद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड हसनगंज उन्नाव के पक्ष में देय होगी।

(झ) प्रतिभूति की धनराशि नगद बैंक ड्राफ्ट द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड हसनगंज उन्नाव के पक्ष में देय होगी।

(ज) परिसर की स्थापना का उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता के निरीक्षण के पश्चात् ही अनुवन्ध सम्पन्न होगा।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड–पंचम, उन्नाव

पत्रांक ..../वि०वि०ख०ह०उ०/टी० 500(टी०सी०) दिनांक– 02.12.2023

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड अजगैन/हसनगंज/मियागंज, उन्नाव को स्वीकृत प्रांकलन के साथ।

संलग्नक : यथा उपरोक्त

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड–पंचम, उन्नाव